

कार्यालय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खगड़िया।
दिनांक 27वीं अप्रैल, 2026.

आदेश संख्या 02/2026.

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायिक दण्डाधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण आदेश के आलोक में नये न्यायिक दण्डाधिकारियों के योगदान करने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक 1965-2032/Admn.(Misc.)/ P.F.XXVII-5-1996 दिनांक 16वीं जनवरी, 2014 के आलोक में न्यायिक दण्डाधिकारियों के बीच संज्ञान शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाना अतिआवश्यक है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के विभिन्न पत्र के आलोक में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, खगड़िया के द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम को SC/ST (Prevention of Atrocities) Act 1989 एवं संशोधित एक्ट 2015 के तहत SC/ST थाना से संबंधित वादों को विचारण का अधिकार दिया गया है।

अतः शेष बचे थानों को न्यायमण्डल में पदस्थापित न्यायिक पदाधिकारियों के बीच निम्न प्रकार से आबंटित किया जाता है।

क्रमशः	न्यायिक पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम	सांज्ञान लिये थानों का नाम जाने वाले
1.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खगड़िया।	खगड़िया / चित्रगुप्तनगर / अलौली / मुफ्फसिल / पौरा / मानसी / चौथम / यातायात / गंगौर एवं बहादुरपुर थाना।
2.	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ, खगड़िया।	मोरकाही थाना।
3.	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, खगड़िया	परवत्ता थाना।
4.	अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, खगड़िया।	महिला थाना।
5.	श्री संतोष कुमार साह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, खगड़िया।	महेशखूंट थाना।
6.	श्री अविनाश चन्द्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, खगड़िया।	मडैया ओ0 पी0।
7.	श्रीमती निष्ठा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, खगड़िया।	पसराहा थाना।
8.	श्रीमती किरण कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, खगड़िया।	भरतखण्ड थाना।
9.	श्री क्षितिज अनुपम, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, खगड़िया।	साईबर थाना।
10.	श्री विजय कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, खगड़िया।	बेलदौर थाना।

आदेश की प्रति अनुमोदन हेतु श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया को भेजे, व अनुमोदनोपरान्त आदेश की प्रति सभी न्यायिक पदाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे। यह आदेश दिनांक 01.05.2026 से प्रभावी रहेगा।

सभी संबंधित को सूचित करें।

Secy, Admn.
P.D.T
27-4-20

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
खगड़िया।
27.04.2026